COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / रिव्यू / टीकमगढ / भू.रा. / 2018 /

पुनर्विलोकन - 2598/2018/टीकमगढ/भू.रा./

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज 27-4-2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रूप सिंह यादव पुत्र छुट्टा यादव निवासी– ग्राम धनेरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

–– आवेदक

बनाम

1. श्यामबाई पत्नी दुलैया यादव, निवासी ग्राम धनेरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

रिब्यू आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2018 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1959/I /2018 से परिवेदित होकर।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिब्यू आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धनेरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ में स्थित सर्वे क्रमांक 648/2,

FBR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुनरावलोकन-02598/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 720/बी-121/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2006 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन के नाम से दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। जब तक उक्त आदेश किसी वरिष्ठ न्यायालय से निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक अनावेदक क्रमांक 1 का पट्टा बहाल किया जाना अवैधानिक है। आलोच्य आदेश पारित करते समय उक्त तथ्य इस न्यायालय से नजर अंदाज हो गया है, जबकि उक्त बिन्दु उन्होंने मूल निगरानी में उठाया था। अत: आलोच्य आदेश पुनरावलोकन योग्य है। अनावेदक शासन की ओर से भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उक्त बिन्दु को अनदेखा किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुन: अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु भेजा जाना उचित होगा। दोनों तर्कों के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। विचारोपरांत इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी /टीकमगढ़/भू.रा./2018/1959 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2018 एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 307/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 निरस्त करते हुए प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे पुन: दोनों पक्षों को सुनकर तथा अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15.11.2006 को पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुन: विधिसम्मत आदेश पारित करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	